



अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जन जाति कर्मचारी कल्याण संघ



कार्यालय : राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कल्याणपुर, कानपुर

सम्बन्ध :- अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, नई दिल्ली

No. 122

29.10.14

अध्यक्ष : भगवान दीन
मो. 9450127249
9198062595

Cashier
may not deposit a sum
of Rs 10/- being a tel. fees

सचिव : श्रीराम
मो. 9936167035

उपाध्यक्ष :
धर्मन्ध कुमार
मो. 9935602589

पत्रांक 29-10-14

दिनांक 29-10-2014

संयुक्त सचिव
चन्द्र कुमार
मो. 9793091434

सेवा में,

निदेशक
राष्ट्रीय शर्करा संस्था,
कानपुर

लेखाकार
नरेन्द्र कुमार (ड्राफ्टमैन)
मो. 9450132096

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत स्पष्ट जानकारी हेतु अनुरोध पत्र।

महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ अनुरोध है कि संस्था प्रशासन द्वारा भर्ती नियम संशोधित करवाने में जिस प्रकार से अधिकारी वर्ग के लिए प्रभावी कार्यवाही करके संशोधन की प्रक्रिया अविरोध सुनिश्चित करवा ली जाती है परन्तु कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधन में उदासीनता बरती जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। संस्था में जैसे तो अनेक-नेक कर्मचारियों के पद रिक्त है जिसमें कुछ पद पदोन्नति से भरे जाने हैं उदाहरण स्वरूप संस्था में कार्यालय अधीक्षक के रिक्त दो पद जिसे ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में (अराजपत्रित) कर दिया है मात्र भर्ती नियम संशोधित न हो पाने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही विलम्बित है भर्ती नियम संशोधित न हो पाने के कारण अन्य कर्मचारी भी पदोन्नति से वंचित है इस सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित विन्दुओं का क्रमवार स्वच्छ स्पष्ट जानकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण संघ को देने का कष्ट करें।
विन्दु क्रमशः निम्न प्रकार से हैं:-

1. संस्था में सेवारत समूह 'ग' व 'घ' कर्मचारियों के भर्ती नियम कब से संशोधित नहीं हुए है, स्पष्ट करें ?
2. समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों के संशोधित भर्ती नियम बनाकर मंत्रालय संस्तुति हेतु कब भेजा गया है, कृपया स्पष्ट जानकारी देने का कष्ट करें जिससे इस सम्बन्ध में कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके।
3. मंत्रालय से संशोधित भर्ती नियम संस्तुति होने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?
4. एम० टी० एस० वर्ग में होते हुए संस्था के कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति तो की गई है परन्तु अन्य एम० टी० एस० कर्मचारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है ?
5. हम सब शपथ लेते हैं कि अपना कार्य सत्यनिष्ठा, भाई-चारा, ईमानदारी व भेद-भाव किये बगैर करेंगे, क्या शपथ का पालन सच्चाई से करते हैं ? यदि पालन होता है तो क्या समूह 'ग' व 'घ' के साथ संस्था प्रशासन न्याय कर रहा है ?
6. समूह 'ए' व 'बी' में वर्तमान समय में संस्था में नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों हुई हैं तो क्या भर्ती नियम संशोधित करवाने के वाद की गई है, यदि नहीं तो समूह 'ग' एवं 'घ' के लिये भर्ती नियम संशोधन का इन्तजार क्यों किया जा रहा है ?

सदस्य
घनश्याम
मो. 9839512686

हरवंश लाल
मो. 9005073251

सुभाष राज
मो. 9451020111

रमाकान्त
मो. 9208381386

सोहन लाल (क.अधी.)
मो. 9721109653

APIO
APSO

29/10

R/S

29/10/14

Deposited vide TR No. 320571
dt. 29.10.14. pl.

29/10

भवदीय

श्री राम (श्रीराम)
सचिव

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति
कर्मचारी कल्याण संघ
राष्ट्रीय शर्करा संस्था
कल्याणपुर, कानपुर

25(22)/2014/RTI/1012

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

फोन : 2570541, 542

दिनांक 12-11-2014

फैक्स : 0542-2570247

प्रेषक

निदेशक

सेवा में

श्रीपुल श्रीराम

सचिव

अखिल भारतीय अनुजाति/जनजाति,

कर्मचारी कल्याण सघ,

रा.शर्करा संस्थान, कानपुर

विषय--जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्रांक-शून्य, दिनांक-22.10.2014 के द्वारा वांछित जानकारीयों विदुवार विमानानुसार हैं-

1. संस्थान में सेवारत समूह 'अ' एवं 'ब' कर्मचारियों के भर्ती नियम उठे पेंशन आयोग के माध्यम से संशोधित बनाने हेतु मंत्रालय भेजे गये हैं।
2. संस्थान से ग्रुपी 'अ' व 'ब' के कर्मचारियों के संशोधित भर्ती नियम उठे पेंशन आयोग के उपरत बनकर मंत्रालय भेजे गये हैं।
3. मंत्रालय से संशोधित भर्ती नियम संस्तुति होने में विलंब का कारण संस्थान द्वारा दे पाना संभव नहीं है।
4. संस्थान एम.टी.एस. से एम.टी.एस. में किसी कर्मचारी की प्रयोजनता नहीं की गयी है।
5. संस्थान प्रशासन विमानानुसार कार्य कर रहा है।
6. समूह 'ए' व 'बी' में वर्तमान समय में संस्थान में नियुक्तियां एवं प्रयोजनतियां ~~0~~ ~~0~~ भर्ती नियम के अनुसार हुई हैं।

प्राप्त 12/11/14
12/11/14

भवदीय,
12/11/14
(जितेंद्र सिंह)

सहायक आचार्य शर्करा शिल्प एवं
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी